भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या. *90

दिनांक 27.06.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल की कमी

***90. श्री कीर्ति वर्धन सिंहः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि लगभग 600 मिलियन भारतीयों को पानी की अधिक से अत्यधिक कमी की स्थिति का सामना करना पड़ता है और पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पानी न मिल पाने के कारण प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पेयजल की अत्यधिक कमी की समस्या के समाधान हेतु सरकार निकट भविष्य में क्या कदम उठायेगी;
(ग) क्या सरकार देश में वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर में पाइपलाइन के जरिये पानी की आपूर्ति करने पर विचार कर रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 27.06.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *90 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) नीति आयोग की ''स्ट्रैटजी फॉर न्यू इंडिया @75'' के अनुसार, प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 2001 में 1816 क्यूबिक मीटर से घटकर 2011 में 1544 क्यूबिक मीटर हो गई है। चूंकि, जल, राज्य का विषय है अतः केंद्र सरकार जल संकट की स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्यों के साथ कार्य कर रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में, केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत केंद्र सरकार ग्रामीण बसावटों में सुरक्षित पेयजल के कवरेज में सुधार लाने के लिए राज्यों को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कुल 17,25,808 ग्रामीण बसावटों में से, 13,98,292 ग्रामीण बसावटें (81.02%) पूर्णतया कवर हैं। इसके अलावा, कुल 9182.58 लाख ग्रामीण आबादी में से, 7001.42 लाख ग्रामीण आबादी (76.25%) 40 लिटर से अधिक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सुरक्षित पेयजल प्राप्त कर रही है।

इसके अलावा, पेयजल की कमियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए/किए जा रहे हैं:

- पेयजल स्रोतों को बनाए रखने के लिए भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों अर्थात् प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) तथा कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीएण्डडब्ल्यूएम) कार्यक्रम आदि के अंतर्गत भू-जल का कृत्रिम पुनर्भरण तथा वर्षा जल संचयन का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्व के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को एकीकृत करके बनाया गया है, जिसका उद्देश्य एक छत्र के तहत एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन किया जाना है ताकि पानी से संबंधित मुद्दों को समग्र रूप से निपटाया जा सके।
- भारत सरकार, देश के विभिन्न हिस्सों में पानी की कमी की मौजूदा चुनौती पर राज्यों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। जल संरक्षण पर और पानी की कमी के दौरान प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा 20 मई, 2019 को राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है।
- जल संसाधन और जल आपूर्ति के राज्य मंत्रियों की एक बैठक 11 जून, 2019 को जल शक्ति के माननीय मंत्री की अध्यक्षता में हुई जिसमें वर्तमान स्थिति से उत्पन्न चिंताओं को दूर करने के लिए राज्यों द्वारा की गई गतिविधियों की व्यापक समीक्षा की गई।
- माननीय प्रधान मंत्री ने देश के सभी सरपंचों को पत्र के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से संबोधित किया और उन्हें लोगों की भागीदारी के साथ जल निकायों को गाद रहित करके उनकी सफाई करने, वर्षा जल संचयन करने आदि जैसी जल संरक्षण गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रेरित किया।

(ग) और (घ) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।